

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

मांग संख्या 67

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

		बजट 2007-2008			संशोधित 2007-2008			बजट 2008-2009		
मुख्य शीर्ष		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
		(करोड़ रुपए)								
राजस्व		561.75	6.90	568.65	418.95	6.82	425.77	586.80	7.09	593.89
पूंजी		64.25	...	64.25	64.05	...	64.05	30.20	...	30.20
जोड़		626.00	6.90	632.90	483.00	6.82	489.82	617.00	7.09	624.09
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	10.50	6.81	17.31	7.30	6.81	14.11	10.50	7.09	17.59
ऊर्जा के गैर-पारम्परिक स्रोत										
2. सौर ऊर्जा कार्यक्रम	2810	127.70	...	127.70	81.60	...	81.60	114.45	...	114.45
	3601	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
	3602	2.55	...	2.55	0.10	...	0.10	0.60	...	0.60
	4810	0.25	...	0.25	0.05	...	0.05	0.20	...	0.20
	जोड़	131.00	...	131.00	81.75	...	81.75	115.75	...	115.75
3. जैव-गैस कार्यक्रम और एनबीबी	2810	37.50	...	37.50	48.00	...	48.00	55.00	...	55.00
	3601	4.00	...	4.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00
	जोड़	41.50	...	41.50	58.00	...	58.00	65.00	...	65.00
4. पवन ऊर्जा कार्यक्रम	2810	21.00	...	21.00	15.50	...	15.50	22.25	...	22.25
5. जैव पिंड कार्यक्रम	2810	51.00	...	51.00	36.50	...	36.50	50.00	...	50.00
6. एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम	2501	0.10	...	0.10
	3601	9.40	...	9.40	5.00	...	5.00	4.00	...	4.00
	3602	0.50	...	0.50
	जोड़	10.00	...	10.00	5.00	...	5.00	4.00	...	4.00
7. ऊर्जा के अन्य स्रोत	2810	60.50	...	60.50	35.40	...	35.40	88.25	...	88.25
	3601	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
	3602	0.50	...	0.50	0.10	...	0.10	0.25	...	0.25
	जोड़	62.00	...	62.00	36.50	...	36.50	89.50	...	89.50
8. शहरी और कृषि संबंधी अपशिष्टों से ऊर्जा	2810	13.50	...	13.50	13.00	...	13.00	25.50	...	25.50
9. सरकारी उद्यमों में निवेश	4810	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	30.00	...	30.00
	6810	14.00	...	14.00	14.00	...	14.00
	जोड़	64.00	...	64.00	64.00	...	64.00	30.00	...	30.00
10. राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा संस्थान	2810	8.00	...	8.00	4.00	...	4.00	7.00	...	7.00
11. अन्य मदें	2810	150.70	0.09	150.79	98.65	0.01	98.66	135.50	...	135.50
12. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	62.80	...	62.80	62.80	...	62.80	62.00	...	62.00
	कुल जोड़	626.00	6.90	632.90	483.00	6.82	489.82	617.00	7.09	624.09
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
9.01 भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी	12810	64.00	384.16	448.16	64.00	637.58	701.58	30.00	647.00	677.00
	जोड़	64.00	384.16	448.16	64.00	637.58	701.58	30.00	647.00	677.00
ग. आयोजना परिव्यय*										
1. ऊर्जा के गैर-पारम्परिक स्रोत	12810	565.10	384.16	949.26	421.20	637.58	1058.78	558.00	647.00	1205.00
2. ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	12501	0.10	...	0.10
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	62.80	...	62.80	62.80	...	62.80	62.00	...	62.00
	जोड़	628.00	384.16	1012.16	484.00	637.58	1121.58	620.00	647.00	1267.00
* शहरी विकास मंत्रालय की मांगों में निर्माण कार्य परिव्यय सहित।										
मांग संख्या 100	12810	2.00	...	2.00	1.00	...	1.00	3.00	...	3.00

1. **सचिवालय** : इसमें सचिवालय व्यय हेतु प्रावधान किया जाता है।
2. **सौर ऊर्जा कार्यक्रम** : इसमें यूआईसीए, सौर ऊर्जा अनुसंधान एवं विकास, तथा सौर तापीय के विस्तार, सौर प्रकाशवोल्टीय और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों/युक्तियों सहित सौर ऊर्जा केन्द्र, सौर तापीय ऊर्जा कार्यक्रम के लिए प्रावधान शामिल है।
3. **बायोगैस कार्यक्रम**: यह ग्रामीण क्षेत्र के कार्यक्रमों हेतु नवीकरणीय ऊर्जा के घटकों में से एक है। इसमें पारिवारिक प्रकार के संयंत्रों को लोकप्रिय बनाने और बायोगैस के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए भी सहायता शामिल है।
4. **पवन ऊर्जा कार्यक्रम** : इसमें प्रदर्शन पवन विद्युत परियोजनाओं, लघु पवन ऊर्जा एवं हाइब्रिड प्रणालियों पवन डाटा बेस को सुदृढ़ करना, अनुसंधान एवं विकास तथा पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केन्द्र (सी-वैट) के लिए सहायता शामिल है।
5. **बायोमास कार्यक्रम**: इस कार्यक्रम के लिए प्रावधानों का संबंध मुख्य रूप से चीनी उद्योग में विभिन्न बायोमास रूपांतरण के अनुसंधान एवं विकास तथा संवर्धन और बायोमास आधारित विद्युत सह-उत्पादन पर विभिन्न प्रौद्योगिकियों/परियोजनाओं के उपयोग और बायोमास गैसीकरण/दहन आधारित विद्युत उत्पादन से है। "भारत में बायोमास ऊर्जा उत्पादन के लिए अड़चनों को दूर करना" नामक विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना शुरू की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य भारत में पर्यावरणीय दृष्टि से सतत बायोमास विद्युत और सह-उत्पादन प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण को तेज करना है। उपरोक्त परियोजना के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2008-09 के लिए 2 करोड़ रुपए का बजट लाइन उपलब्ध कराया गया है।
6. **एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम(आईआरईपी)**: इस कार्यक्रम को ग्रामीण क्षेत्रों हेतु नवीकरणीय ऊर्जा के साथ शामिल कर दिया गया है। रखा गया प्रावधान मुख्य रूप से दसवीं योजना की अतिरिक्त देयताओं की पूर्ति के लिए है।
7. (i) **अन्य ऊर्जा स्रोत** : इसमें नई ऊर्जा प्रौद्योगिकियों जैसे ईंधन सैल, हाइड्रोजन ऊर्जा, भूतल परिवहन के लिए जैव ईंधन, विद्युत उत्पादन और प्रत्यक्ष ताप अनुप्रयोगों के लिए भूतापीय ऊर्जा और विद्युत उत्पादन के लिए महासागरीय ऊर्जा के संवर्धन हेतु अनुसंधान, विकास और प्रदर्शन परियोजनाओं/कार्यकलाप हेतु प्रावधान शामिल हैं।
- (ii) **लघु पनबिजली कार्यक्रम**: इस कार्यक्रम का उद्देश्य सुदूरवर्ती और पहाड़ी क्षेत्रों में या तो ग्रिड-सम्बद्ध विद्युत परियोजनाओं या विकेन्द्रित विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के माध्यम से नदियों और प्राकृतिक प्रपातों पर पनबिजली संभाव्यता का उपयोग करना है। ऐसी परियोजनाओं की संस्थापना के लिए संभाव्यता

अध्ययनों, विस्तृत परियोजनाओं रिपोर्ट तैयार करने और ब्याज सब्सिडी के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

8. **शहरी एवं कृषिगत अपशिष्टों से ऊर्जा** : इसमें शहरी, म्युनिसिपल एवं औद्योगिक अपशिष्टों से ऊर्जा प्राप्ति पर परियोजनाओं हेतु प्रावधान शामिल हैं। इस स्कीम में अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाओं के लिए राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जाते हैं।

9. **सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम में निवेश**: इसमें भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) जिसकी स्थापना विभिन्न नई और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत परियोजनाओं एवं स्कीमों हेतु सहायता देने के लिए की गई थी, को एक्विटी सहायता प्रदान करने हेतु प्रावधान शामिल है।

10. **राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा संस्थान(एनआईआरई)**: इसमें सरदार स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा संस्थान, जिसकी स्थापना वर्ष 1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम XXI के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई है, की सहायता हेतु प्रावधान शामिल है। एनआईआरई जैव-ईंधनों सहित सिंथेटिक ईंधन और जैव-ऊर्जा पर ध्यान देगा।

12. **अन्य मदें** :

(i) अन्य मदों में सूचना एवं प्रचार, राज्य सरकारों को सहायता, उद्योग को सहायता, मंत्रालय की मानीटरिंग और मूल्यांकन हेतु प्रावधान शामिल हैं।

(ii) **दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण (आरवीई) कार्यक्रम** : जिन गांवों को राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत ग्रिड कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं, उन्हें इस कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय वित्तीय सहायता के साथ, जहां कहीं व्यवहार्य और किफायती हो, नवीकरणीय ऊर्जा युक्तियों व प्रणालियों के माध्यम से बिजली/रोशनी दी जा रही है।

(iii) विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु 7 करोड़ रु. के समतुल्य बजट, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा सेवाओं के प्रावधान के माध्यम से चुनिन्दा गावों के आर्थिक स्तर को उठाना; जीआईएस प्लेटफार्म पर अक्षय ऊर्जा संसाधन मूल्यांकन; लघु पनबिजली स्टेशनों के प्रचालन पर प्रशिक्षण देने के लिए एक डिजिटल सिमुलेटर का विकास और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी मानचित्रण तथा बैंचमार्किंग।

13. **पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए एकमुश्त प्रावधान**: इसमें मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता का प्रावधान शामिल है।